RISING RAJASTHAN

Azadi ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 05/2023 **GCMS NO:- 2023/217**

प्रार्थी–	बनाम	अप्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना पचपदरा, जिला बालोतरा।		1. श्री जयलाल पुत्र रामेता मीणा जाति मीणा, निवासी मीणा मोहल्लला पालोडी, डिकरीया, पुलिस थना मानपुर, जिला दौसा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं बावजुद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 16.12.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 02.02.2022 श्रीमान वृताधिकारी महोदय वृत बालोतरा ने थाना उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस मजमून की पेश की कि आज दिनाक 02.02.2022 को पुलिस उप अधीक्षक बालोतरा धनफूल मीना आरपीएस मय कानि नेनाराम दीगर राजकार्य द गस्त हेतू कार्यालय से रवाना होकर कल्याणपुर पहुंचा। थाना का आकस्मिक निरीक्षण किया बाद फारिक थाना कल्याणपुर से रवाना होकर गस्त करता हुआ सरहद कुडी रेवाडा चौराहा पहुंचा, तो मुझ पुलिस उप अधीक्षक बालोतरा धनफूल मीना आरपीएस को जरिये मुखबीर इत्तला मिली कि कुडी से करीब आधा किलोमीटर दूर कल्याणपुर की तरफ हाईवे के बांयी तरफ बालाजी हाईये होटल पर नगर, डोली वाले अवैध रूप से डीजल व पैट्रोल बेचने का कार्य कर रहे है तथा तुरन्त दबीश दी जाये तो अवैध डीजल व पैट्रोल भारी मात्रा में बरामद हो सकता है। जिस पर इत्तला विश्वसनीय होने से मन् पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय रीडर रायचन्दराम को

जिला कलक्टर
बालोतरा

जरिये मोवाईल निर्देश दिये एवं थानाधिकारी पुलिस थाना बालोतरा को जरिये मोवाईल पीसीआर मय जाब्ता को भेजने के निर्देश दिये गए। पुलिस थाना बालोतरा की पीसीआर गाडी से तनसिंह हैड कानि मय जाब्ता व कार्यालय रीडर रायचन्दराम हैड कानि० 835 व कंप्युटर ऑपरेटर कानि चुतराराम 1596 लेपटोप, प्रिन्टर व अनुसंधान बॉक्स के उपस्थित आये। जिस पर कानि चुतराराम व नैनाराम को मुखबीर की मोटरसाईकिल व 2000/– रूपये (500–500 रूपये के चार नोट लघु हस्ताक्षर युक्त) एवं दो जरीकेन देकर 10 लीटर पेट्रोल व 10 लीटर डीजल भरवाने हेतू रवाना कर मन सीओ मय जाब्ता के कानि चुतराराम व नैनाराम के पीछे–पीछे रवाना होकर होटल से करीबन 50 मीटर दूर गाडी खड़ी कर डेकॉय के ईशारे का इंतजार किया। डेकॉय चुतराराम ने ईशारा किया तो मन् सीओ मय जाब्ता के बालाजी हाईवे होटल के आगे पहुंचा, तो उक्त होटल के आगे सात ड्रम तथा पास में खड़ी पिकअप गाडी नम्बर आर० जे० 23 जी०ए० 1405 में लोड कुल छः ड्रम भरे हुए (04 प्लास्टिक ड्रम व 02 लोहे के ड्रम) पाये गये। उक्त ड्रमो मे भरे पदार्थ के बारे में शक्सान को पूछा गया तो पैट्रोल व डीजल व पिकअप में लोड ड्रमों में अल्फा पैट्रोल होना एवं पिकअप गाडी स्वयं की होना बताया एवं डेकॉय चुतराराम ने पूछने पर बताया कि पैट्रोल 90/– रूपये प्रति लीटर व डीजल 80/– रूपये प्रति लीटर दिया व 300/–रूपये मुझे वापस दे दिये है। जिस पर मन् सीओ मय जाब्ता द्वारा उक्त प्रादर्श को सूधा, परखा व चैक किया गया, तो जमीन पर रखे पांच ड्रमों में पैट्रोल व दो ड्रमों में डीजल भरा होना पाया गया तथा पिकअप गाड़ी में लोड छः ड्रमों में अल्फा पैट्रोल (ज्वलनशील पैट्रोलीयन पदार्थ) होना पाया गया। उक्त शक्सान से अपना नाम/पता व रसद अधिकारी से जारी अनुज्ञा पत्र बाबत पूछा गया तो उन्होंने अपने पास अनुज्ञापत्र नहीं होपस बताकर एक शक्स ने अपना नाम पूनाराम पुत्र मंगलाराम जाति विश्नोई निवासी साहिब नगर, डोली पुलिस थाना कल्याणपुर व दूसरे शक्स ने अपना नाम सोहनराम पुत्र मंगलाराम जाति विश्नोई निवासी साहिब नगर, डोली पुलिस थाना कल्याणपुर जिला बाड़मेर होना बताया। उक्त शक्सन द्वारा भारी मात्रा में अवैध डीजल व पैट्रोल (ज्वलनशील पेट्रोलीयम पदार्थ) बिना लाईसेन्स व परमीट के अपने कब्जे में रखने व बेचने पाये जाने पर कार्यवाही हेतु मौके पर जमीन पर रखे पैट्रोल के 05 ड्रमों को चैक कर माप किया गया तो प्रत्येक ड्रम में 200–200 लीटर व एक ड्रम में 130 लीटर पैट्रोल होना पाया गया तथा डीजल के दो ड्रमों में से एक ड्रम में 200 लीटर व दूसरे ड्रम में 170 लीटर डीजल होना पाया गया, एवं

जिला कलक्टर
बालोतरा

डेकोंय द्वारा भरवाये गये 10 लीटर पैट्रोल व 10 लीटर डीजल से भरे दो जरीकेन तथा पिकअप गाडी में लोड 04 प्लास्टिक के ड्रमों का माप करने पर प्रत्येक में 230–230 लीटर अल्फा पैट्रोल व दो लोहे के ड्रमों में भरे पैट्रोल का माप करने पर प्रत्येक ड्रम में 200–200 लीटर अल्का पेट्रोल भरा हुआ पाया गया। इस प्रकार पैट्रोल के कुल पांच ड्रमों व जेरीकेन में कुल 940 लीटर पैट्रोल व पिकअप में लोड छः ड्रमों में कुलं 1320 लीटर अल्फा पैट्रोल व दो ड्रमों व डेकॉय वाले जेरीकेन में कुल 300 लीटर डीजल होना पाया गया। उक्त जब्तसुदा वास्ते रासायनिक परीक्षणार्थ कांच की एक बोतल भरी जाकर शील्ड मोहर कर मार्क अंकित किया गया एवं कांच की एक बोतल की भरी जाकर वास्ते कन्ट्रोल सैम्पल शील्ड मोहर कर मार्क अंकित किया गया एवं शेष मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायो डिजल) को उसी ड्रमों में रहने दिया जाकर ढक्कन को शील्ड मोहर कर मार्क अंकित किया गया तथा सोहनराम के पास से मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायो डिजल) ब्रिकी राशि 2000/– रूपये को वास्ते वजह सबूत एक कागज के लिफाफे में रखकर शील्ड मोहर मार्क सी अंकित किया गया। मौके पर मिले पैट्रोल/डीजल भरने के उपकरण दो मेजरमेन्ट क्रमशः दस लीटर व पांच लीटर, रबड़ की नली करीबन नौ फिट लम्बी एवं एक कीप को वजह सबूत जरिये फर्द जब्ती के कब्जा पुलिस लिया जाकर चेपा अकित किया गया एवं उक्त नम्बर आर०जे० 23 जी०ए० 1405 पिकअप गाडी को बतौर वजह सबूत जब्त किया गया। प्रकरण में अन्वेषण से आरोपी पूनाराम पुत्र मंगलाराम जाति विश्नोई एवं सोहनराम पुत्र मंगलाराम जाति विश्नोई द्वारा के दवारा बिना लाईसेंस/परमिट के अनाधिकृत रूप से पैट्रोलियम पदार्थ बायोडीजल का संग्रह किया गया है जो अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। उक्त बायोडीजल संग्रह में प्रयुक्त वाहन आर.जे. 23 जीए 1405 का मालिकाना हक जयलाल पुत्र रामेता मीणा जाति मीणा निवासी मीणा मोहल्ला पीलोडी ठिकरियां पुलिस थाना मानपुर जिला दौसा का होना पाया गया है। प्रकरण में अन्वेषण से आरोपी द्वारा बिना लाईसेंस/परमिट के अनाधिकृत रुप से पैट्रोलियम पदार्थ बायोडीजल का संग्रह किया गया है तथा वाहन मालिक जयलाल पुत्र रामेता मीणा द्वारा बिना लाईसेस/परमिट के उक्त बायोडीजलनुमा पदार्थ अपने कब्जा में रखना, परिहवन करना तथा विक्रय करना धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। लिहाजा यह इस्तगासा पेश कर निवेदन है कि प्रकरण हाजा मे जब्तशुदा पैट्रोल के कुल पांच ड्रमों व जेरीकेन में कुल 940

जिला कलक्टर
बालोतरा

लीटर पैट्रोल व पिकअप में लोड छः ड्रमों में कुलं 1320 लीटर अल्फा पैट्रोल व दो ड्रमों व डेकॉय वाले जेरीकेन में कुल 380 लीटर डीजल एवं आर०जे० 23 जी०ए० 1405 पिकअप गाडी का नियमानुसार निस्तारण करवाने के आदेश प्रदान फरमायें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजीवद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वयं बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा है तथा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नही किया। ऐसे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा बायोडीजल राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है। इस पर अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर व प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी जयलाल पुत्र रामेता मीणा जाति मीणा निवासी मीणा मोहल्ला पीलोडी ठिकरियां पुलिरा थाना मानपुर, जिला दौसा को अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ संग्रह करते हुए पाया गया तथा मौके से गाड़ी में तथा टंकी ड्रम व कैन में भरे पदार्थ के वारे में पूछने पर अप्रार्थी (मौके पर उपस्थित शख्स) ने बायोडीजल/डीजल/पेट्रोल होना बताया। सूंघने तथा जांच करने पर कुल जब्तशुदा पैट्रोल के कुल पांच ड्रमों व जेरीकेन में कुल 940 लीटर पैट्रोल व पिकअप में लोड छः ड्रमों में कुलं 1320 लीटर अल्फा पैट्रोल व दो ड्रमों व डेकॉय वाले जेरीकेन में कुल 380 भरा होना पाया गया। साथ ही मौके पर मिले पैट्रोल/डीजल भरने के उपकरण दो मेजरमेन्ट क्रमशः दस लीटर व पांच लीटर, रवड़ की नली करीबन नौ फिट लम्बी एवं एक कीप को होना पाया गया। उक्त शख्स से बायोडीजल, डीजल, पेट्रोल लाने, बिना लाईसेंस/परमिट के उक्त बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रखना, परिवहन करना तथा विक्रय करने बाबत वैध अनुज्ञापत्र होना नहीं बताया गया। साथ ही उक्त जब्तसुदा पदार्थ में से कांच की बोतल में नमुना सैम्पल वास्ते रासायनिक परीक्षण के लिए भेजे गए तथा प्राप्त एफएसएल रिपोर्ट में " On physicochemical analysis:- 1.The liquid samples contained in the bottle marked S, 51 to S5 confirmed the Bis specification of Petrol (15-2796) in respect of density at 15°C & distillation characteristic. 2. The liquid samples contained in the bottle marked S6 to S11 gave positive tests for the

जिला कलक्टर
बालोतरा

presence of Methanol (CH_2OH) which is inflammable organic liquid. 3. The liquid samples contained in the bottle marked S12, S13 and S14 confirmed the BIS specification of Diesel (15-1460) in respect of distillation characteristic, density at 15°C, flash point and kinematic viscosity" होना बताया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अपने कब्जे में रखे गये पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना पाया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ राजसात किये जाने के समुचित आधार मौजूद हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तदधीन बनाये गये मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के उल्लंघन मे पाये गये कुल जब्तशुदा पैट्रोल के कुल पांच ड्रमों व जेरीकेन में कुल 940 लीटर पैट्रोल व पिकअप में लोड छः ड्रमों में कुल 1320 लीटर अल्फा पैट्रोल व दो ड्रमों व डेकॉय वाले जेरीकेन में कुल 380 लीटर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। थानाधिकारी पुलिस थाना पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात किये गये उक्त पदार्थ का सार्वजनिक निलामी द्वारा निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें तथा जिला रसद अधिकारी, बालोतरा इसके लिए सहयोग प्रदान करे। इस आदेश की प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना पचपदरा एवं जिला रसद अधिकारी, बालोतरा को पालना एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

5. आदेश आज दिनांक 16.12.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा